रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275631
CG-DL-E-20082026-275631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 680] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 746(अ).— केन्द्रीय सरकार, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963का 41) की धारा 17क की उपधाराओं (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **वस्त्र समिति (**दंड और अपील का न्यायनिर्णयन) नियम, 2026 बनाने का जो मसौदा प्रस्तावित करती है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन यथापेक्षित, इससे प्रभावित होने की संभावना रखने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात, जिस दिन इसकी प्रतियां जनता के लिए को उपलब्ध करा दी जाएंगी, विचार किया जाएगा।

उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर, यदि किसी व्यक्ति को इस मसौदा नियमों के संबंध में कोई आक्षेप अथवा सुझाव हो, तो वह उन्हें सचिव, वस्त्र समिति (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार), प्रभादेवी चौक, पी. बालू रोड, प्रभादेवी, मुम्बई–400025 को प्रेषित कर सकता है। उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों को वस्त्र समिति (दंड और अपील का निर्णय) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.परिभाषाएं—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से वे अधिकारी अभिप्रेत हैजिसे अधिनियम की धारा 17क की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जांच करने और अधिनियम के तहत दण्ड लगाने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से वे अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2)के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गयाहै;

(घ) "समिति" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित वस्त्र समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "संबंधित व्यक्ति" से वे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 17क के अधीन जाँच प्रारंभ की गई है;

(च) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से वे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संबंधित व्यक्ति द्वारान्यायनिर्णयन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "दण्ड" से आशय अधिनियम की धारा 17क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दण्ड से है।

(ज) "अपील" से अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील अभिप्रेत है;

(झ) "अपीलकर्ता" से वे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय II

न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति

3.न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति:-केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार में निदेशक के पद से नीचे के स्तर का न होने वाले किसी अधिकारी अथवा समकक्ष पद के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णायकअधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

4. न्यायनिर्णयन अधिकारी की शक्तियाँ

(1) अधिनियम की धारा 17क के अधीन जाँच करने के प्रयोजन से, निर्णयन अधिकारी :-

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी करना;

(ख) जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी सूचना, अभिलेख या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करना;

(ग) लिखित बयान, शपथ-पत्र या अन्य साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति सेपूछताछ करना;

(ङ) अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जाँच करने की प्रक्रिया को विनियमित करना

(च) ऐसे प्रक्रियात्मक आदेश पारित करना जो आवश्यक हो।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 17क के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।

5. न्यायनिर्णयन अधिकारी को प्रशासनिक सहायता:-समिति या केंद्र सरकार, निर्णयन अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिलेख तथा अन्य प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जो आवश्यक हो।

अध्याय III

जाँच करने और दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया

6. जाँच का प्रारंभ:-

(1) जहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास केंद्र सरकार या समिति से प्राप्त किसी भी रिपोर्ट, शिकायत, निरीक्षण, संदर्भ या अन्य सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (i) या (ii) में निर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह इन नियमों के अनुसार जाँच शुरू करेगा।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी जाँच प्रारंभ करने के लिए आधारों को अभिलिखित करेगा।

7. **कारण बताओ नोटिस जारी करना**

(1).न्यायनिर्णयन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) कथित उल्लंघन की प्रकृति;

(ख) अधिनियम या नियमों के उन प्रासंगिक उपबंधों का, जिनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है;

(ग) जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है; और

(घ) वे अवधि, जिसके भीतर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) नोटिस में संबंधित व्यक्ति से यह कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि अधिनियम की धारा 17क के अधीन दण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाए।

8. जवाब प्रस्तुत करना

(1) संबंधित व्यक्ति, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, सहायक दस्तावेजों सहित अपना जवाब प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अतिरिक्त अवधि दे सकता है जो वह उचित समझे।

जहाँ संबंधित व्यक्ति उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उप-नियम (2) के तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है,तोवहाँ न्यायनिर्णयन अधिकारी, उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, जाँच को आगे बढ़ा सकेगा और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले का निर्णय कर सकेगा।

9. सुनवाई

(1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, अधिनियम की धारा 17क के अधीन कोई दण्ड अधिरोपित करने से पूर्व, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो सकता है या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी,मामले के निर्णय के लिए आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों या अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।

10. साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण

(1) संबंधित व्यक्ति ऐसे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा, जो जांच के लिए प्रासंगिक हो।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी,मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों या सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।

11. जाँच का संचालन:-न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगा—

(क) नियम 7 के अधीन जारी किया गया नोटिस;

(ख) नियम 8 के अधीन प्रस्तुत किया गया लिखित जवाब ;

(ग) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य;

(घ) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए निवेदन; और

(ङ) जांच से संबंधित कोई अन्य सामग्री।

12. न्यायनिर्णयन अधिकारी का आदेश:-

(1) न्यायनिर्णयन अधिकारी, संबंधित व्यक्ति द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से या, जहाँ कोई जबाब प्राप्त नहीं होता है, वहाँ नियम 8 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उसके अधीन उप-नियम (2) में प्रदान की गई विस्तारित अवधि की समाप्ति से, एक सौ अस्सी दिनों के भीतर जांच पूर्ण करेगा और कारणयुक्त आदेश पारित करेगा तथा—

(क) कार्यवाहियों को समाप्त कर सकेगा, जहाँ कोई उल्लंघन स्थापित नहीं होता है;

(ख) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन चेतावनी जारी कर सकेगा; या

(ग) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) दण्ड का सीमानिर्धारित करते समय, निर्णयन अधिकारी निम्नलिखित बातों का उचित ध्यान रख सकेगा—

(क) उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता;

(ख) क्या उल्लंघन पहली बार किया गया है, पुनरावृत्त उल्लंघन है या निरंतर जारी रहने वाला उल्लंघन है;

(ग) उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति की सीमा, यदि कोई हो;

(घ) अभिलेख पर प्रस्तुत कोई शमनकारी परिस्थितियाँ; और

(ङ) मामले से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक कारक।

13. आदेश की विषय-वस्तु:-नियम 12 के अधीन पारित प्रत्येक आदेश में शामिल होंगे—

(क) मामले के तथ्य;

(ख) निर्धारण के लिए मुद्दे;

(ग) कारणों सहित निष्कर्ष;

(घ) यथास्थिति, जारी की गई चेतावनी या अधिरोपित दण्ड;

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर दण्ड की राशि जमा की जाएगी; और

(च) अधिनियम की धारा 17क के अधीन उपलब्ध अपील के अधिकार का उल्लेख।

14. आदेश की सेवा

(1) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या सेवा के किसी अन्य मान्य माध्यम द्वारा प्रदान की जाएगी।

(2) यदि नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट 180 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई आदेश पारित किया जाता है, तो विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा

(3) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश केवल आदेश पारित करने में हुए विलंब के कारण अमान्य नहीं होगा।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी, बिना किसी विलंब के, उप-नियम (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजेगा, अर्थात्:—

(क) समिति के अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के संयुक्त सचिव (समिति के पदेन सदस्य)और

(ग) सचिव, वस्त्र समिति

15. जुर्माने की वसूली:-जहाँ नियम 12 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की राशि आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है, वहाँ उक्त राशि अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (6) के अनुसार भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जाएगी।

अध्याय IV

अपील

16. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति, अपील का प्रारूप और अपील प्रस्तुत करने की तरीका। ।

(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के स्तर का न होने वाले किसी अधिकारी अथवा समकक्ष पद के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो नियम 12 के अधीन निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) प्रत्येक अपील पर अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें होंगे—

(क) अपीलकर्ताका नाम और पता;

(ख) उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है;

(ग) मामले के तथ्य;

(घ) अपील के आधार;

(ङ) मांगी गई राहत; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो अपील के निर्णय के लिए आवश्यक हो सकतेहैं।

(4) प्रत्येक अपील के साथ संलग्न होंगे—

(क) अपील किए गए आदेश की स्व-सत्यापित प्रति;

(ख) अपीलकर्ताद्वारा निर्भर किए गए दस्तावेजों की प्रतियाँ, यदि कोई हों; और

(ग) प्राधिकरण-पत्र, जहाँ अपील किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो।

(5) अपील को व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) अपील, अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। जहाँ अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अपीलकर्ता ऐसे विलंब के कारणों को दर्शाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

17. सुनवाई की सूचना

(1) जहाँ कोई अपील स्वीकार कर ली जाती है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई की तारीख नियत कर सकेगा और अपीलकर्ताको सूचना जारी कर सकेगा।

(2) सूचना में सुनवाई की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा तथा उसमें अपीलकर्ता को अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाही के अभिलेख की भी मांग कर सकेगा।

18. अपील की सुनवाई।

(1) अपीलीय प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, अपीलकर्ताको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हो सकता है या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(3) जहाँ अपीलकर्ता सुनवाई के लिए नियत तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपील का निर्णय कर सकेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

19. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश

(1) अपील, मामले के अभिलेखों और सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, अपीलीय प्राधिकारी, कारणयुक्त आदेश द्वारा—

(क) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगा;

(ख) अपील किए गए आदेश में संशोधन कर सकेगा; या

(ग) अपील किए गए आदेश को निरस्त कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश में अंतर्विष्ट होंगे—

(क) मामले के तथ्य;

(ख) निर्धारण के बिंदु;

(ग) कारणों सहित निष्कर्ष; और

(घ) अंतिम निर्णय।

(3) अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

20. आदेश का संचार।

(1) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को सूचित की जाएगी—

(क) अपीलकर्ता;

(ख) समिति के अध्यक्ष;

(ग) न्यायनिर्णयन अधिकारी; और

(घ) सचिव, वस्त्र समिति।

(2) आदेश को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या सेवा के किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यम से सूचित किया जाएगा।

अध्याय V

विविध

21. भाषा और अभिलेख:-इन नियमों के अधीन सभी नोटिस, उत्तर, आदेश, अभिलेख और कार्यवाहियाँ सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी में होंगी, तथा जहाँ आवश्यक हो, वहाँ अनुवाद संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

22. विवरणों का प्रकाशन:-केंद्र सरकार या समिति, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिनियम की धारा 17क के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के नाम और पदनाम प्रकाशित करेगी तथा समय-समय पर उसे अद्यतन करेगी।

23. कठिनाइयों का निवारण:-यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, ऐसी कठिनाई के निवारण के लिए ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकेगी, जो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के असंगत न हों।

24. शिथिल करने की शक्ति:-केंद्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता में छूट प्रदान कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी छूट लोकहित में आवश्यक है और अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है।

[फा. सं. एसटीजीआई-9/1/3/2025- एसटीजीआई-पार्ट(2)]

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

G.S.R. 746(E).— The following draft of the Textiles Committee (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 22 read with sub-sections (1) and (2) of section 17A of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), is hereby published, as required under section 22 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public:—

The Objections and suggestions, if any, may be sent within the said period of thirty days to the Secretary, Textiles Committee, (Ministry of Textiles, Government of India), Prabhadevi Chowk, P. Balu Road, Prabhadevi, Mumbai 400025. The objections and suggestions received from any person before the expiry of the said period shall be considered by the Central Government.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** —

    (1) These Rules may be called the Textiles Committee (Adjudication of Penalties and Appeal) Rules, 2026.

    (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. —**

    (1) In these Rules, unless the context otherwise requires, —

    (a) "Act" means the Textiles Committee Act, 1963;

    (b) "Adjudicating Officer" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 17A of the Act for the purpose of holding inquiry and imposing penalty under the Act;

    (c) "Appellate Authority" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (2) of section 17A of the Act for hearing appeals against the orders of the Adjudicating Officer;

    (d) "Committee" means the Textiles Committee constituted under section 3 of the Act;

    (e) "Concerned Person" means a person against whom an inquiry has been initiated under section 17A of the Act;

    (f) "Authorised Representative" means a person authorised in writing by the concerned person to represent him before the Adjudicating Officer or the Appellate Authority

    (g) "Penalty" means the penalty specified under section 17A of the Act;

    (h) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (2) of section 17A of the Act.

    (i) "Appellant" means a person who prefers an appeal under sub-section (2) of section 17A of the Act

    (2) The Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

APPOINTMENT OF ADJUDICATING OFFICER

3. Appointment of Adjudicating Officer:- The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer not below the rank of Director to the Government of India or an officer of equivalent rank as the Adjudicating Officer for the purposes of sub-section (1) of section 17A of the Act.

4. Powers of the Adjudicating Officer.

    (1) For the purpose of holding an inquiry under section 17A of the Act, the Adjudicating Officer may—

    a. issue notices requiring the attendance of any person;

    b. call for such information, records or documents as may be considered necessary for the purposes of the inquiry;

    c. receive written statements, affidavits or other evidence;

d. examine any person acquainted with the facts and circumstances of the case;

e. regulate the procedure for conducting the inquiry consistent with the provisions of the Act and these rules;

f. pass such procedural orders as may be necessary.

(2) The Adjudicating Officer shall ensure that the concerned person is afforded a reasonable opportunity of being heard before passing any order under section 17A of the Act.

5. Administrative assistance to the Adjudicating Officer: The Committee or Central Government shall provide such officers, employees, records and other administrative assistance to the Adjudicating Officer as may be necessary for the efficient discharge of his functions under the Act and these Rules.

CHAPTER III

MANNER OF HOLDING INQUIRY AND IMPOSING PENALTY

6. Initiation of inquiry.-

1) Where the Adjudicating Officer has reason to believe, on the basis of any report, complaint, inspection, reference or other material received from the Central Government or the Committee, that a person has contravened the provisions referred to in clauses (i) or (ii) of sub-section (2) of section 17 of the Act, he shall initiate an inquiry in accordance with these Rules.

2) The Adjudicating Officer shall record the grounds for initiating the inquiry.

7. Issue of Show Cause Notice.

1) The Adjudicating Officer shall issue a Show Cause Notice in writing to the concerned person specifying—

a. the nature of the alleged contravention;

b. the relevant provisions of the Act or the Rules alleged to have been contravened;

c. the material relied upon; and

d. the period within which a written representation may be submitted.

2) The notice shall require the concerned person to show cause why penalty under section 17A of the Act should not be imposed.

8. **Submission of reply.**

1) The concerned person may submit his reply together with supporting documents within fifteen days from the date of receipt of the notice.

2) The Adjudicating Officer may, for reasons to be recorded in writing, grant such further time as he considers reasonable.

Where the concerned person fails to submit a reply within the period specified in sub-rule (1) or the extended period under sub-rule (2), the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry and decide the matter on the basis of the records available, after recording the reasons therefore.

9. Hearing.

1) The Adjudicating Officer shall afford the concerned person a reasonable opportunity of being heard before imposing any penalty under section 17A of the Act.

2) The concerned person may appear either in person or through an authorised representative.

3) The Adjudicating Officer may permit production of documents, records or other evidence considered necessary for deciding the matter.

10. Production of evidence.

1) The concerned person may produce such oral or documentary evidence as may be relevant to the inquiry.

2) The Adjudicating Officer may call for such additional documents or information as he considers necessary for the proper adjudication of the matter.

11. Holding of inquiry: The Adjudicating Officer shall consider—

a. the notice issued under rule 7;

b. the written reply submitted under rule 8;

c. the evidence produced by the parties;

d. the submissions made during the personal hearing; and

e. any other material relevant to the inquiry.

12. Order of the Adjudicating Officer-

1) The Adjudicating Officer shall complete the inquiry and pass a speaking order, within one hundred and eighty days from the date of receipt of the reply submitted by the concerned person to the show cause notice or, where no reply is received, from the expiry of the period specified in sub-rule (1) of Rule 8 or the extended period granted under sub-rule (2) thereof, as the case may be, and may —

a. close the proceedings, where no contravention is established;

b. issue a warning under clause (i) of sub-section (2) of section 17 of the Act; or

c. impose a penalty under clause (ii) of sub-section (2) of section 17 of the Act.

2) While determining the quantum of penalty, the Adjudicating Officer may have due regard to—

a. the nature and gravity of the contravention;

b. whether the contravention is a first-time, repeated or continuing contravention;

c. the extent of loss or damage, if any, caused by the contravention;

d. any mitigating circumstances placed on record; and

e. any other relevant factor having a bearing on the case.

13. Contents of order:- Every order passed under rule 12 shall contain—

a. the facts of the case;

b. the issues for determination;

c. the findings with reasons therefore;

d. the warning or penalty imposed, as the case may be;

e. the time within which the penalty shall be deposited; and

f. the right of appeal available under section 17A of the Act.

14. Service of order.

1) A copy of every order passed by the Adjudicating Officer shall be served upon the concerned person by registered post, speed post, electronic mail or by any other recognised mode of service.

2) If an order is passed after the expiry of the period of 180 days as specified under sub-rule (1) of Rule 12, the reasons for the delay shall be recorded in writing

3) No order passed by the Adjudicating Officer shall be invalid merely by reason of delay in passing of the order.

4) The Adjudicating Officer shall, without delay, send a copy of the order passed under sub-rule (1) to the following, namely: —

a) the Chairman of the Committee;

b) the Joint Secretary to the Government of India (Ex-Officio member of the Committee) and

c) the Secretary, Textiles Committee

15. Recovery of penalty:- Where the penalty imposed under rule 12 is not deposited within the period specified in the order, the amount shall be recoverable as an arrear of land revenue in accordance with sub-section (6) of section 17A of the Act.

CHAPTER IV

APPEAL

16. Appointment, form and manner of preferring appeal.

1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or an officer of equivalent rank as the Appellate Authority for the purposes of sub-section (2) of section 17A of the Act.

2) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating Officer under rule 12 may prefer an appeal to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 17A of the Act.

3) Every appeal shall be signed by the appellant or by his authorised representative and shall contain—

a. the name and address of the appellant;

b. the particulars of the order appealed against;

c. the facts of the case;

d. the grounds of appeal;

e. the relief sought; and

f. such other particulars as may be necessary for deciding the appeal.

4) Every appeal shall be accompanied by—

a. a self-attested copy of the order appealed against;

b. copies of the documents relied upon by the appellant, if any; and

c. an authorisation, where the appeal is presented through an authorised representative.

5) The appeal may be submitted in person, by registered post, speed post or through electronic means, as may be specified by the Central Government.

6) The appeal shall be presented within the period specified under sub-section (2) of section 17A of the Act. Where an appeal is preferred after the expiry of the period specified under sub-section (2) of section 17A of the Act, the appellant shall submit an application stating the reasons for such delay.

17. Notice of hearing.

1) Where an appeal is admitted, the Appellate Authority may fix a date for hearing and issue a notice to the appellant.

2) The notice shall indicate the date, time and place of hearing and may also require the appellant to produce such documents or information as may be considered necessary for disposal of the appeal.

3) The Appellate Authority may also call for the records of the proceedings from the Adjudicating Officer.

18. Hearing of appeal.

1) The Appellate Authority shall afford the appellant a reasonable opportunity of being heard before passing any order under sub-section (4) of section 17A of the Act.

2) The appellant may appear either in person or through an authorised representative.

3) Where the appellant fails to appear on the date fixed for hearing, the Appellate Authority may proceed to decide the appeal on the basis of the records available.

4) The Appellate Authority may adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing.

19. Order of the Appellate Authority.

1) After considering the appeal, the records of the case and the submissions made during the hearing, the Appellate Authority shall, by a reasoned order,—

a. confirm the order passed by the Adjudicating Officer;

b. modify the order appealed against; or

c. set aside the order appealed against.

2) Every order passed under sub-rule (1) shall contain—

a. the facts of the case;

b. the points for determination;

c. the findings with reasons therefore; and

d. the final decision.

3) The decision of the Appellate Authority shall be final and binding.

20. Communication of order.

1) A copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to—

a. the Appellant;

b. the Chairman of the Committee;

c. the Adjudicating Officer; and

d. the Secretary, Textiles Committee

2) The order shall be communicated by registered post, speed post, electronic mail or by any other recognised mode of service.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

21. Language and record: All notices, replies, orders, records and proceedings under these rules shall ordinarily be in Hindi or English, with translation support where required.

22. Publication of particulars: The Central Government or the Committee shall publish on its official website the names and designations of the Adjudicating Officer and the Appellate Authority appointed under section 17A of the Act and update the same from time to time.

23. Removal of difficulties: If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the Central Government may issue such administrative directions, not inconsistent with the provisions of the Act and these rules, as may be necessary for the removal of such difficulty.

24. Power to relax: The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, relax any procedural requirement under these rules, if it is satisfied that such relaxation is necessary in the public interest and is not inconsistent with the provisions of the Act.

[F.No. STCGI-9/1/3/2025-STCGI-Part(2)]

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA